30

No. 2/ 10 /2018-Public
Government of India / Bharat Sarkar
Ministry of Home Affairs / Grih Mantralaya

Coord

North Block, New Delhi.
Dated 7th January, 2019

To

The Chief Secretaries/Administrators of all
State Governments/Union Territory Administrations

08 JAN 2019

Subject:-Observance of silence on 30th January in the memory of those who gave their lives in the struggle for India's freedom-

Ministry of Corporate Affairs
प्राप्ति अनुभाग
Receipt Branch
10 JAN 2019
ई-कार्यालय / E-Office
R&I Sec
79865

Sir/ Madam,

I am directed to say that on 30th January every year, two minutes' silence is observed at 11:00 A.M., throughout the country, in the memory of those who gave their lives in the struggle for India's freedom.

2. The following standing instructions have been laid down for observance of this day:

(i) Silence should be observed and work and movement stopped for two minutes throughout the country at 11:00 A. M. on 30th January every year.

(ii) Wherever available, the commencement and termination of the two minutes' silence period should be indicated by sound of siren or Army guns. Sirens should be sounded from 10:59 hrs till 11:00 hrs and after two minutes, all clear sirens should again be sounded from 11:02 hours till 11:03 hours. This procedure may be adopted where sirens exist.

(iii) On hearing the signal (wherever available), all persons would stand up and observe the silence. It would be more effective if people could gather at one place for observing the silence instead of each person standing in his room or at any other place. However, effort need not be made to assemble at one place if it involves serious dislocation of work.

(iv) At places where no signal system is available, suitable instructions can be passed on to all concerned for observing the silence for two minutes at 11:00 A.M.

10 coord 10/1/2019

10/1/19

Pooja

3. In the past, it has been observed that while two minutes' silence is observed in some offices, the general public goes about its occupation in the ordinary course, unmindful of the solemnity of the occasion. The State Governments/ Union Territories are, therefore requested to take necessary steps to ensure that the Martyrs' Day is observed with due solemnity and with better public participation. For this, they are requested to take the following steps:-

(i) Instructions may be issued to all educational institutions in the State/ Union Territory and Public Sector Enterprises under them for observance of the Martyrs' Day with full solemnity and in a befitting manner. Speeches and talks connected with the significance of the day, particularly mentioning the role of freedom fighters in the freedom of India may be made. The theme of talks and speeches could also deal with the duty and the moral obligation of every citizen to preserve, protect and enrich the hard-earned freedom and to promote a sense of national integration and commitment to common goals and ideals.

(ii) Field publicity units of the States/Union Territories may hold programmes and/ or films/ documentaries with the basic themes of Indian Freedom Movement, the role of the martyrs in the Freedom Struggle and national integration.

(iii) Various Chambers of Commerce and Industry in the States/Union Territories may also be requested to ensure proper observance of the Martyrs' Day by their members and affiliated associations and organisations.

Yours faithfully,

Deepak Kumar 07/01/2019

(Deepak Kumar)
Under Secretary to the Government of India
Tele. No.011- 23092421

2/10/2018-Public New Delhi, the 7th January, 2019.

Copy, for information, to the Secretary to the Governors/ Lt. Governors of all States/ Union Territory Administrations.

Deepak Kumar 07/01/2019

(Deepak Kumar)
Under Secretary to the Government of India
Tele. No.011- 23092421

(3)

2/10/2018-Public New Delhi, the 7th January, 2019

Copy forwarded for information and necessary action to:-

1. All Ministries / Departments of the Govt. of India
2. President's Secretariat
3. Vice-President's Secretariat
4. Prime Minister's Office
5. Registrar, Supreme Court of India
6. Registrar, Delhi High Court
7. Cabinet Secretariat
8. Rajya Sabha Secretariat
9. Lok Sabha Secretariat
10. NITI Aayog
11. Election Commission of India
12. Union Public Service Commission
13. Office of Comptroller and Auditor General of India
14. Central Vigilance Commission
15. University Grants Commission
16. National Commission for SCs
17. National Commission for STs
18. Law Commission
19. National Commission for Minorities
20. National Commission for Women
21. National Human Rights Commission
22. Manager, Reserve Bank of India
23. All attached & subordinate offices of the Ministry of Home Affairs located at Delhi/New Delhi
24. Ad.III Section, MHA
25. Principal Information Officer, Shastri Bhawan, New Delhi-110001 for appropriate media coverage of the event.
26. ADG (Media), MHA, North Block.

Spare copies 5

Deepak Kumar
07/01/2019

(Deepak Kumar)
Under Secretary to the Government of India
Tele. No.011- 23092421

सं. 2/10/2018-पब्लिक
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
***

(4)

नई दिल्ली, दिनांक 7 जनवरी, 2019

सेवा में,

सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिव/
संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के प्रशासक

विषय : भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों की स्मृति में 30 जनवरी को मौन धारण करना ।

महोदय/महोदया,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों की स्मृति में प्रतिवर्ष 30 जनवरी को पूर्वाहन् 11: 00 बजे देश भर में दो मिनट का मौन रखा जाता है।

2. इस दिन को मनाने के लिए निम्नलिखित स्थायी अनुदेश निर्धारित किए गए हैं : -

(i) प्रतिवर्ष 30 जनवरी को पूर्वाहन् 11: 00 बजे देश भर में दो मिनट का मौन रखा जाना चाहिए तथा काम और गतिविधियों को रोक दिया जाना चाहिए।

(ii) जहाँ उपलब्ध हो, दो मिनट का मौन रखा जाना चाहिए तथा काम और गतिविधियाँ रोक दी जानी चाहिए। दो मिनट का मौन शुरू होने की सूचना पूर्वाहन् 10.59 बजे से 11: 00 बजे तक सायरन बजाकर दी जानी चाहिए और फिर दो मिनट बाद 11: 02 से 11: 03 बजे तक पुनः ऑल क्लीयर सायरन बजाए जाने चाहिए । जहाँ सायरन उपलब्ध हो वहाँ यही कार्यविधि अपनाई जाए ।

(iii) सिगनल (जहाँ उपलबध हों), सुनकर सभी व्यक्ति खड़े हो जाएं और मौन धारण करें। मौन धारण करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने कमरे में अथवा किसी दूसरे स्थान पर, अकेले खड़े होने के बजाए सभी व्यक्तियों द्वारा एक ही स्थान पर इकट्ठे खड़े होना अधिक प्रभावशाली होगा। फिर भी यदि कार्य में अत्यधिक अस्त–व्यस्तता होने की आशंका हो तो सबको एक जगह एकत्रित किए जाने के प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है।

(iv) जिन स्थानों पर सिग्नल की कोई व्यवस्था न हो वहाँ पूर्वाहन् 11: 00 बजे दो मिनट का मौन धारण करने के लिए सभी संबंधितों को उपयुक्त अनुदेश दिए जा सकते हैं।

3. विगत में, यह देखा गया है कि यद्यपि कुछ कार्यालयों मे दो मिनट का मौन रखा जाता है परन्तु आम जनता इस अवसर की गंभीरता पर ध्यान दिए बिना सामान्य रूप से अपने कामकाज में लगी रहती है। इसलिए, राज्य सरकारों /संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध है कि वे शहीद दिवस पर शहीदों के प्रति श्रद्धा-सम्मान की भावना को जागरूक करते हुए इस श्रद्धांजलि में जनता के प्रत्येक वर्ग की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करें। इस प्रयोजनार्थ उनसे निम्नलिखित कदम उठाने का अनुरोध किया जाता हैः-

(i) शहीद दिवस को गंभीरतापूर्वक तथा उचित रूप से मनाए जाने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित शैक्षिक संस्थाओं और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अनुदेश जारी किए जाए। इस दिन के महत्व के बारे में भाषण और वार्ताएं आयोजित की जाएं जिनमें भारत की स्वतंत्रता में स्वतंत्रता सेनानियों की भूमिका का विशेष उल्लेख किया जाए। कठिनाई से प्राप्त की गई स्वतंत्रता की संरक्षा, सुरक्षा तथा समृद्धि के प्रति प्रत्येक नागरिक के कर्तव्य और नैतिक दायित्व को इन भाषणों एवं वार्ताओं का विषय बनाया जा सकता है और राष्ट्रीय एकता की भावना के संवर्धन तथा साझा उद्देश्यों और आदर्शों के प्रति वचनबद्धता का भी उल्लेख किया जा सकता है।

(ii) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की क्षेत्रीय प्रचार यूनिटें ऐसे कार्यक्रमों और/अथवा फिल्मों/वृत चित्रों का आयोजन कर सकती है जिनका मूल विषय भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन, स्वतंत्रता संग्राम में शहीदों की भूमिका और राष्ट्रीय एकता हो ।

(iii) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में विभिन्न वाणिज्य और उद्योग संघों से भी सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाए कि उनके सदस्य, सम्बद्ध एसोसिएशनें तथा संगठन शहीद दिवस को उचित रूप से मनाएं।

भवदीय,

दीपक कुमार
07/01/2019
(दीपक कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 011- 2309 2421

प्रतिलिपि, सभी राज्यों के राज्यपालों/उप-राज्यपालों के सचिवों/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासकों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतू प्रेषित।

दीपक कुमार
07/01/2019
(दीपक कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 011- 2309 2421

संख्या 2/10/2018-पब्लिक   नई दिल्ली, दिनांक 7 जनवरी, 2019. (6)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतू अग्रेषित :

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
2. राष्ट्रपति सचिवालय
3. उप- राष्ट्रपति सचिवालय
4. प्रधानमंत्री कार्यालय
5. रजिस्ट्रार, भारत का उच्चतम न्यायालय
6. रजिस्ट्रार, दिल्ली उच्चतम न्यायालय
7. मत्रिमंडलीय सचिवालय
8. राज्य सभा सचिवालय
9. लोक सभा सचिवालय
10. नीति आयोग
11. निवार्चन आयोग
12. संघ लोक सेवा आयोग
13. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय
14. केन्द्रीय सतर्कता आयोग
15. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
16. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
17. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
18. विधि आयोग
19. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग
20. राष्ट्रीय महिला आयोग
21. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
22. प्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक
23. गृह मंत्रालय के दिल्ली / नई दिल्ली स्थित सभी सम्बद्ध / अधीनस्थ कार्यालय
24. प्रशासन-III अनुभाग, गृह मंत्रालय
25. प्रधान सूचना अधिकारी, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001, समारोह की उचित मीडिया कवरेज देने के लिए ।
26. ए.डी.जी. (मीडिया), गृह मंत्रालय

अतिरिक्त प्रतियां - 5

दीपक कुमार 07/01/2019

(दीपक कुमार)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष: 011- 2309 2421